

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-01 / स्था0-01-03 / 2023-

103


पटना, दिनांक- 19/3/26

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अनुमोदन हेतु उपस्थापित होने वाले सभी संचिकाओं/पत्रों/टिप्पणियों का निम्न स्वरूप में होना अनिवार्य होगा :-

1. सभी पत्र प्रारूप/आदेश प्रारूप/कार्यालय आदेश प्रारूप/बैठक की कार्यवाही (Proceeding) से संबंधित प्रारूप/संक्षिप्त विवरणी/सारांश प्रारूप पर संबंधित प्रशाखाओं/कार्यालयों के सभी संबंधित पदाधिकारियों का पदनाम/हस्ताक्षर (Initial) अनिवार्य है।
2. संचिकाओं के टिप्पणी भाग पर संचिका उपस्थापित करने वाले सभी संबंधित पदाधिकारियों का हस्ताक्षर के नीचे नाम (साफ-साफ अक्षरों में) अंकित करना अनिवार्य है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(संतोष कुमार मल्ल)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-01 / स्था0-01-03 / 2023- 1591

पटना, दिनांक- 19/3/26


प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/सभी अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन एवं अभियंत्रण सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-01 / स्था0-01-03 / 2023- 1591

पटना, दिनांक- 19/3/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, WRD IT Centre / IT Manager, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव